

FP/UP/other/12/1957/2021

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17 टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

CF सदावतुर की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

दिनांक—.....

स्थान.....

हस्ताक्षर: (युजेश्वर प्रसाद)  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow  
मोहर: